बोर्ड द्वारा दिनांक 24.12.2016 को आयोजित पटवारी सीधी भर्ति (मुख्य) परीक्षा, परीक्षा कोड 26 में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि –

1. इस परीक्षा कोड 26 का प्रश्न पत्र तथा इसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित प्रश्न अथवा उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो दिनांक 08.01.2017 से दिनांक 11.01.2017 को रात 12:00 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा सकता है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। अपलोड किये गये प्रश्न पत्र में उनका उपलब्ध कराये गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग-अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिये गये विकल्प का क्रम भी अपलोड किये गये प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में मिलने क्रम में हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि यदि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियाँ दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें।

2. इस विज्ञप्ति के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकटित प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 79 के अनुसार परीक्षा में किसी परीक्षार्थियों को वितरित प्रश्न पत्र में क्रम संख्या 41 पर निम्न प्रश्न मुद्रित हुआ है: प्रश्न संख्या 35 में दी गई फील्ड बुक में त्रिमुखाकार आकृतियों का क्षेत्रफल है एस-...
   1) 250  2) 240  3) 260  4) 270
   उपयोगिता प्रश्न में त्रिविंद्र प्रश्न संख्या 40 के स्थान पर प्रश्न संख्या 35 का संदर्भ दे दिया गया है, जो सही नहीं है। अतः इस तरह के प्रश्न पत्रों में उक्त प्रश्न संख्या 41 को वितरित करने का निर्देश लिया गया है। ऐसे परीक्षार्थियों को इस प्रश्न के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न वितरित करने के बाद गणित के शेष प्रश्नों में प्राप्त अंकों के समानुपात में परीक्षार्थियों के गणित के प्राप्तकों में वृद्धि की जायेगी।

3. बोर्ड के ध्यान में आया है कि किसी परीक्षा केंद्रों पर कठिन परीक्षार्थियों को दिये गये प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न छपने से नहीं गये हैं। इसके फलस्वरूप इन प्रश्नों के स्थान पर कोई प्रश्न दो बार भी छपना भी सम्भावित है। अतः ऐसे सभी परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के समाधान में अपनी स्पष्ट शिक्षित आपत्ति मूल प्रश्न पत्र के साथ ऑनलाइन अथवा व्यक्तिगत रूप से बोर्ड के सचिव को दिनांक 09.01.2017 से दिनांक 11.01.2017 के मध्य धार्मिक समय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दे। निर्देश दिनांक व निर्दिष्ट समय के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। अपने मामलों में इस परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आपत्ति ही दर्ज करानी होगी।
4. ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 08.01.2017 से दिनांक 11.01.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निकल गया हो जाएगा। पैरा नं 3 में उल्लेखित मामलों को छोड़कर अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेंगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जायेंगी। आपत्तियों के लिये पोर्टल पर standard, Authentic पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाईन संलग्न करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव